तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुरेश भाटी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 109 / 2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-06-2022	अपीलार्थी सुरेश भाटी पुत्र स्व. अभयसिंह भाऔी, पता भाटी चौराहा, मगरा पूंजला, मण्डोर जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.03.2022 में (1) आपके आदेश कमांक 1531 दिनांक 14.02.22 की सत्यप्रति (2) आपके उक्त आदेश कमांक 1531 दिनांक 14.02.2022 के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2021 की सत्यप्रति (3) आदेश कमांक 1531 दिनांक 14.02.22 में उल्लेखित महेश गहलोत पुत्र प्रेमसिंह गहलोत द्वारा आपको प्रेषित उक्त पत्र की सत्यापित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 654 दिनांक 20.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी सुरेश भाटी को इस कार्यालय के पत्रांक 557 दिनांक 27.04.22 द्वारा कुल 40 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:16:05 IST
Reason: SelfAttested